राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः– शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः–28 / 2020

1. बिलायत हुसैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी निवासी जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
2. शब्बीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी निवासी जाबासर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

–प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2021

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अ.धा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जाबासर तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 315 रबका 1.6400 है. ख.न. 316 रकबा 2.9000 है., ख.न. 318 रकबा 1.1400 है. कुल किता 03 कुल रकबा 5.6800 है. अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी भूमि रही है। जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त किया व काबिज रहे है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम बिलायत हुसैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी है जमांबदी संवत 2047 से 2050 में जब प्रार्थी संख्या 1 का नाम जरिये नामांतकरण संख्या 209 प्रार्थी 1 की माता के फौत होने पर जरिये विरासतन नामांतकरण दर्ज हुआ तब प्रार्थी का सही नाम बिलायत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति कायमखानी दर्ज हुआ लेकिन बाद के राजस्व रिकार्ड में सहवान से लियाकत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति काजी दर्ज हो गया जो कि वर्तमान तक गलत इंद्राज है। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी है जो कि जमांबदी संवत 2012 से लेकर 2014 तक दर्ज है लेकिन बाद की जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में सहवान से सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी की जगह जाति काजी दर्ज हो गया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट, प्रार्थीगण अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट की प्रति, पैन कार्ड व कक्षा 10 की मार्कशीट की प्रतिलिप प्रस्तुत कि है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि लियाकत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति काजी के स्थान पर बिलायत हुसैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी व सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति काजी के स्थान पर सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी दर्ज करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित लियाकत हुसैन पुत्र ताज

म्मद जाति काजी व सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति काजी के स्थान पर बिलायत सैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी व सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम जाबासर तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 315 रबका 1.6400 है. ख.न. 316 रकबा 2.9000 है., ख.न. 318 रकबा 1.1400 है. कुल किता 03 कुल रकबा 5.6800 है. में से हि0 1/2 लियाकत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति काजी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गलती से बिलायत हुसैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी के स्थान पर लियाकत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति काजी व हिस्सा 1/2 में सबीर खां पुत्र फैज मोहम्मद खां जाति कायमखानी के स्थान पर सबीर खां पुत्र फैज मोहम्मद खां जाति काजी दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। प्रार्थीगण अपने नाम के समर्थन में स्वयं का प्रार्थना पत्र, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट की प्रति, पैन कार्ड व कक्षा 10 की मार्कशीट प्रतिलिप पेश कि है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जाबासर तहसील मलसीसर की सरहद में भूमि ख.न. 315 रबका 1.6400 है. ख.न. 316 रकबा 2.9000 है., ख.न. 318 रकबा 1.1400 है. कुल किता 03 कुल रकबा 5.6800 है. जमांबदी संवत 2074–77 में अंकित लियाकत हुसैन पुत्र ताज मोहम्मद जाति काजी के स्थान पर बिलायत हुसैन पुत्र ताजु खान जाति कायमखानी व सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति काजी के स्थान पर सबीर खान पुत्र फैज मोहम्मद खान जाति कायमखानी दुरूस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगें। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर